

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:—पदमा

विपक्षी:— टीला

किस्म मुकदमा:—वाद

पत्रावली संख्या:—395 / 19

सन:— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>20.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पैरवी हेतु कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत हैं। साक्ष्य वादी हेतु वादी अथवा वादी अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर</p>	

